Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 155/2023

Dinesh Sah**.....*****Appellant***

Versus

Sushil Sah & Ors**.....*****Respondents***

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15-4-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया द्वारा B.L.D.R वाद सं0— 137/2022—23 में दिनांक—15.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा— दक्षिण महेश्वरी, खाता सं0— 30, खेसरा सं0— 869, रकवा— 20 डी0 विवादित भूमि है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में विवादित भूमि के सीमांकन एवं अपने हिस्से की भूमि पर दखल—कब्जा हेतु उक्त वाद दायर किया गया था। विवादित भूमि अनंत लाल साह एवं मसो0 भोली देवी एक हिस्सा तथा फूलचन्द साह एक हिस्सा ब—हिस्सा बराबर दर्ज है। मसो0 भोली देवी द्वारा अपना हिस्सा अनंत लाल साह के पक्ष में त्याग दिया गया, जिससे वे पूरे एक हिस्सा के मालिक हुए। अनन्त लाल साह को दो पत्नी थी, जिसमें प्रथम पत्नी से दो पुत्र तथा दो पुत्री एवं दूसरी पत्नी से तीन पुत्र एवं एक पुत्री हुई। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी द्वितीय पत्नी के वारिशान है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त सम्पति थी जिसका बॅटवारा नही हुआ। अपीलार्थी उक्त भूमि पर निवास करते हुए किराना का व्यवसाय कर रहे थे। उत्तरवादी संख्या 1 को उत्तरवादी संख्या 2 के पक्ष में दान पत्र करने का कोई अधिकार नही है। उत्तरवादी सं0— 2 द्वारा इन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए वाद को खारिज कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। उनके द्वारा विवादित भूमि की जॉच नही की गई तथा इनके तथ्यों पर बिना विचार किये गलत निश्कर्श धारित किया है, जो अटकलों पर आधारित है। उत्तरवादी द्वारा कोई पंचनामा बॅटवारा दाखिल नही किया गया है और ना ही विक्रय संलेख सं0— 4185, दिनांक— 19.09.1962 ही दाखिल किया गया है। उक्त दान—पत्र के आधार पर उनके पक्ष में दर्ज जमाबंदी संदेहास्पद है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यो के आधार पर पोशणीय नही है। अपीलार्थी द्वारा उठाये गए उपराक्त तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत खाता, खेसरा का कुल रकवा—	

Web Copy. Not Official.

क्रमशः

लगातार
15-4-2024

40 डी0 है, जिसमें 20 डी0 अनन्त लाल साह एवं 20 डी0 मसो0 भोली देवी का खतियानी हिस्सा दर्ज है। कालान्तर में भोली देवी अपने हिस्से की 20 डी0 भूमि अनन्त लाल साह के दोनो पत्नी कारी देवी एवं कुसमी देवी के पक्ष में विक्रय संलेख सं0– 4185, दिनांक– 19.09.1962 द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया। अनन्त लाल साह द्वारा भी अपने हिस्से की 20 डी0 भूमि दोनो पत्नी के बीच में हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार कारी देवी एवं कुसमी देवी कुल 40 डी0 भूमि की स्वामिनी हुई। उत्तरवादी सं0– 1 की दादी कारी देवी अपने हिस्से की 20 डी0 भूमि इनके पिता जालश्वर साह के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई तथा इसी प्रकार उत्तरवादी सं0 1 सुशील साह ने उक्त 20 डी0 भूमि अपनी पत्नी उत्तरवादी सं0– 2 चंदा देवी को दिनांक– 09.05.1995 को दान पत्र निश्पादित कर दिया और चंदा देवी प्रश्नगत जमीन पर खास दखलकार होते हुए अपने पक्ष में नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान करते आ रही ह। ये उक्त भूमि पर पक्का मकान बनाकर परिवार के साथ शांतिपूर्वक निवास कर रही है। अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर वैध अधिकार, हित एवं स्वत्व नही है। ये उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि जालेश्वर साह की निजी सम्पति हो गई जिसपर परमेश्वर साह के वारिशान का कोई अधिकार नही बनता है। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए तथा दस्तावेजोय साक्ष्यों के आधार पर आवेदक के वाद को विधि सम्मत तरीके से खारिज करते हुए इसके विचारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में जाने का सही आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा उठाये गए सभी तथ्य एवं आधार बनावटी एवं त्रुटिपूर्ण है, जो प्रतिउत्तर में उल्लिखित वंशावलो से स्पश्ट है। निम्न न्यायालय आदेश सही है। इस प्रकार उत्तरवादी की ओर से अपील अस्वीकृत करने का प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों को सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों /दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पश्ट है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान स्व0 अनन्तलाल साह, पिता– स्व0 शकीचन्द साह वो मसो0 भोली, पति– चिन्तलाल साह एक हिस्सा ब–हिस्सा बराबर वो फूलचन्द साह, पिता– चौधरी साह एक हिस्सा दर्ज है तथा अभ्युक्ति कॉलम में व कब्जे अनन्त लाल साह एवं मसो0 भोली स्पश्ट अंकित है। खतियान के अनुसार उक्त खेसरा में अनन्त लाल साह और मसो0 भोली को खतियान के अनुसार 20 डी0 भूमि प्राप्त था। कालान्तर में मसो0 भोली ने अपने हिस्से की 20 डी0 भूमि अनन्त लाल साह के दोंनो पत्नियों कारी देवी एवं कुसमी देवी को विक्रय संलेख सं0– 4185, दिनाक– 19.9.1962 द्वारा हस्तांतरित कर दिया। इसी प्रकार अनन्त लाल साह ने अपने हिस्से की भूमि वर्श 1962 में ही अपनी उक्त दोंनो पत्नियों के पक्ष में निबंधित विक्रय संलेख द्वारा हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार कारी देवी एवं कुसमी देवी कुल 40 डी0 भूमि की स्वामिनी हो गई। कालान्तर में कारी देवी ने अपने द्वितीय पुत्र जालेश्वर साह (उत्तरवादी सं0–1 के पिता) को हस्तांतरित कर दिया। जालेश्वर साह की सहमति से उत्तरवादी सं0– 1 सुशील साह ने उक्त भूमि निबंधित दान पत्र द्वारा अपनी

Web Copy. Not Official.

		पत्नी चंदा देवी (उत्तरवादी सं0–2) को हस्तांतरित कर दिया। चन्दा देवी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार होकर नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान कर रही है। उत्तरवादी विवादित भूमि पर तीन मंजिला मकान बनाकर निवास कर क्रमशः	
	लगातार 15-4-2024	रही है। इस पूरे विवाद में सभी तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पश्ट होता है कि प्रस्तुत मामला आपसी पारिवारिक बॅटवारे को लेकर है। जिसमें स्वत्व का संशलिश्ट प्रश्न (Complex question of Title) जुडा होना स्पश्ट परिलक्षित होता है। इसका जिक्र निम्न न्यायालय आदेश में भी किया गया है। इस प्रकार के मामले का विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार स परे है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधि–सम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए इसमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुश्ट करते हुए अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है। अपीलार्थी यदि चाहे तो प्रस्तुत मामल के विचारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय (Competent Civil Court) में जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालाय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.